रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 17, 1975/ज्येष्ठ 27, 1897

No. 200] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 17, 1975/JYAISTHA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 17th June 1975

S.O. 263(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 4 and 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby directs that the following Rules shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

(i) The Indian Telegraph Rules, 1951.

(ii) The Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificates of Proficiency and Licence to Operate Wireless Telegraphy) Rules, 1954.

(iii) The Indian Wireless Telegraphy (Amateur Service) Rules, 1958.

(iv) The Indian Wireless Telegraphy (Experimental Service) Rules, 1962.

(v) The Indian Wireless Telegraphy (Demonstration Licence) Rules, 1962.

(vi) The Licensing of Wireless Receiving Apparatus Rules, 1965.

(vii) The Indian Wireless Telegraph Rules, 1973.

(viii) The Indian Wireless Telegraph (Foreign Aircraft) Rules, 1973.

[No. R.11011/4/74-LR]

संचार मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 17 जून, 1975

का० आ० 263(अ).—भारतीय तारयन्त्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि निम्नलिखित नियम, इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख को और उससे, सिक्किम राज्य में विस्तारित होंगे, और प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

(एक) भारतीय तारयन्त्र नियम, 1951

(दो) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (वाणिज्य रेडियो प्रचालन प्रवीणता-प्रमाणपत्र और बेतार तारयांत्रिकी प्रचालन अनुज्ञप्ति) नियम, 1954

(तीन) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (प्रेषानुशीली सेवा) नियम, 1958

(चार) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (प्रायोगिक सेवा) नियम, 1962

(पांच) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी (प्रदर्शन अनुज्ञप्ति) नियम, 1962

(छः) बेतार अभिग्राही साधित्र अनुज्ञापन नियम, 1965

(सात) भारतीय बेतार तारयन्त्र नियम, 1973

(आठ) भारतीय बेतार तारयन्त्र (विदेशी वायुयान) नियम, 1973 ।

[सं० आर० 11011/4/74—एल० आर०]

S.O. 264(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby directs that the Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealers) Rules, 1965 shall extend to, and come into force in, the State of Sikkim with effect on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. R.11011/4/74-LR]

S. M. AGARWAL, Addl. Secy.

का० आ० 264(अ).—भारतीय तारयन्त्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 तथा भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश करती है कि वाणिज्यिक प्रसारण अभिग्राही अनुज्ञापन (व्यौहारी) नियम, 1965, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को और उससे, सिक्किम राज्य में विस्तारित और प्रवृत्त होंगे ।

[सं० आर० 11011/4/74—एल० आर०]

सूरजमल अग्रवाल, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975